



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:19875

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका सं. 55 वर्ष 2026

श्रीमती कोमल चौहान द्वारा उसके पति आलोक कुमार
उर्फ दीपक कुमार

..... याची(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा सचिव, गृह, लखनऊ एवं 4 अन्य

..... प्रत्युत्तरदाता(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता	: धनंजय कुमार त्रिपाठी, काजोल
प्रत्युत्तरदाता(गण) के अधिवक्ता	: शा.अ.

न्यायालय सं. - 14

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. अधिवक्ता श्री गिरीश कुमार ने प्राइवेट प्रत्युत्तरदाता की ओर से वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे अभिलेख पर लिया गया है।

2. 17.02.2026 को, निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

"1. याची के विद्वान् अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान् अ.शा.अ. को सुना गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. वर्तमान याचिका, याची/निरुद्ध को (जिसका जीवन और स्वतंत्रता विरोधी पक्षकार सं. 5 की अवैध निरोध में है) इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, विरोधी पक्षकार सं. 2 से 4 को आदेश और निदेश देते हुए, बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति की कोई रिट, आदेश या निदेश जारी करने, और याची को अपनी स्वतंत्र इच्छा से जीवन जीने की स्वतंत्रता दिए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है।

3. याची के विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि निरुद्ध और शपथी एक साथ पढ़ाई कर रहे थे, वे एक-दूसरे से प्यार करते थे और क्योंकि वे वयस्क हैं, इसलिए उन्होंने विवाह करने का विनिश्चय किया था, किन्तु निरुद्ध के परिवार के सदस्य उसकी इच्छा के विरुद्ध थे, परिणामतः, वह शपथी के पास आ गई थी और एक मंदिर में उसके साथ विवाह कर लिया था। इसके बाद, प्राइवेट प्रत्युत्तरदाता ने उन्हें परेशान करना आरंभ कर दिया था। तब एक दांडिक प्रकीर्ण रिट याचिका सं. 777 वर्ष 2026 (श्रीमती कोमल बनाम उ. प्र. राज्य) दाखिल की गई थी, जिसका निस्तारण 2.2.2026 को कर दिया गया था। वह अग्रोतर निवेदन करते हैं कि या 1.2.2026 को, प्राइवेट प्रत्युत्तरदाता आए थे और आश्वासन दिया था कि वे हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार निरुद्ध का विवाह शपथी के साथ करवा देंगे, किन्तु उसके बाद से निरुद्ध को परिरोध में रखा गया है और वह निरंतर शपथी को सूचित कर रही है कि उसके जीवन को खतरा है, इसलिए, इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. विद्वान् अ.शा.अ. ने श्री राकेश कुमार मौर्य, उप-निरीक्षक, पुलिस थाना धनपतगंज, जिला सुल्तानपुर द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित अनुदेश प्रस्तुत किए हैं (जिन्हें अभिलेख पर ले लिया गया है) और निवेदन करते हैं कि निरुद्ध अपनी स्वयं की इच्छा से अपने माता-पिता के साथ रह रही है। उन्होंने, उप-निरीक्षक श्री नंदलाल द्वारा लिखित, जी.डी. सं. 029 दिनांक 2.2.2026 भी प्रस्तुत की थी, जिसमें यह उल्लेखित है कि निरुद्ध शपथी के साथ थी और मिलने के बाद उसने अपने माता-पिता के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की थी, इसलिए, वर्तमान याचिका खारिज की जाने योग्य है।

5. अभिलेख से स्पष्ट है कि शपथी और निरुद्ध ने संयुक्त रूप से दांडिक प्रकीर्ण रिट याचिका सं. 777 वर्ष 2026 दाखिल की थी, जिसे आदेश दिनांक 2.2.2026 द्वारा निस्तारित किया गया था।

6. दांडिक प्रकीर्ण रिट याचिका सं. 777 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 2.2.2026 इस प्रकार है:-

1. याचीगण की विद्वान् अधिवक्ता सुश्री काजल, विद्वान् अ.शा.अ. सुश्री मीरा त्रिपाठी, और अधिवक्ता श्री गिरीश कुमार को, जिन्होंने विरोधी पक्षकार सं. 4 की ओर से वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे अभिलेख पर लिया गया है, सुना गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. याची की विद्वान् अधिवक्ता सुश्री काजल ने, याचीगण की हाई-स्कूल अंकपत्र की एक प्रति संलग्न करते हुए, एक पूरक शपथपत्र दाखिल किया है। इसे अभिलेख पर लिया गया है।

हाई-स्कूल अंकपत्र के अनुसार, याची सं. 1 की जन्म-तिथि 10.05.2005 है।

3. विरोधी पक्षकार सं. 4 के विद्वान् अधिवक्ता ने एक गुमशुदगी रिपोर्ट की छायाप्रति दर्शित की है, जो विरोधी पक्षकार सं. 4 ने पुलिस थाना धनपतगंज, जिला सुल्तानपुर में अपनी पुत्री के, जो यहां याची सं. 1 है, लापता होने के संबंध में दर्ज कराई थी।

4. इस याचिका के माध्यम से, याचीगण ने निम्नलिखित अनुतोषों के लिए प्रार्थना की है:-

"1. याचीगण के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में और याची सं. 2 के परिवार के सदस्यों को किसी भी प्रकार से परेशान करने, धमकी देने और हस्तक्षेप न करने के लिए, विरोधी पक्षकारों को यह आदेश देते हुए, परमादेश की प्रकृति की एक रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए। 2. संबंधित पुलिस अधिकारियों को, याचीगण को विरोधी पक्षकार सं. 3 से, जो विरोधी पक्षकार सं. 4 के दबाव में आकर याचीगण के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में निरंतर बाधा डालने का प्रयास कर रहा है, सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने का आदेश देते हुए, परमादेश की प्रकृति की एक रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए।"

5. याचीगण के विद्वान् अधिवक्ता ने कहा है कि दोनों याचीगण वयस्क हैं और उन्होंने 17.01.2026 को अयोध्या स्थित बिजली भवानी मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार, अपनी स्वतंत्र इच्छा से आपस में विवाह कर लिया है, इस आशय का उल्लेख

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



याचिका के पैरा 4 में किया गया है। उक्त विवाह के पश्चात्, वे पति-पत्नी के रूप में प्रसन्नता से एकसाथ रह रहे हैं। उन्होंने अग्रतर निवेदित किया है कि याची सं. 1 के पिता इस विवाह से प्रसन्न नहीं हैं और इस कारण वे याचीगण के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

6. लता सिंह बनाम उ. प्र. राज्य एवं अन्य, 2006 (5) एस सी सी 475 में, सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा-17 में निम्नवत् संप्रेक्षित किया है:- "17. यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है, और जब कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता/जाती है, तो वह अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से विवाह कर सकता/सकती है। यदि लड़के या लड़की के माता-पिता ऐसे अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह को अनुमोदित नहीं करते हैं, तो वे अधिक से अधिक यह कर सकते हैं कि वे अपने पुत्र या पुत्री से सामाजिक संबंध तोड़ लें, किन्तु वे न तो धमकी दे सकते हैं, न ही हिंसा के कृत्य कारित कर सकते हैं या उकसा सकते हैं, और न ही उस व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं जिसने ऐसा अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह किया है। इसलिए, हम निदेश देते हैं कि पूरे देश में प्रशासन/पुलिस प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि कोई लड़का या लड़की, जो वयस्क है, किसी अन्य वयस्क स्त्री या पुरुष के साथ अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह करता/करती है, तो दंपति को कोई परेशान न करे, और न ही उन्हें धमकी दी जाए या उनके साथ हिंसा की जाए, और जो कोई, स्वयं या उसके उकसाने पर, ऐसी धमकी देता है, परेशान करता है, या हिंसा का कृत्य कारित करता है, उसके विरुद्ध, पुलिस द्वारा आपराधिक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कार्यवाही संस्थित करके कार्रवाई की जाए, और विधि के अनुसार ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अग्रोतर कड़ी कार्रवाई की जाए।"

7. क्योंकि याची सं. 1 के पिता द्वारा पहले ही एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है, इसलिए याचीगण, अन्वेषण में, यदि कोई है, सहयोग करेंगे। तथापि, विद्वान् अ.शा.अ. द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुसार, पुलिस याचीगण को परेशान नहीं कर रही है। किसी भी स्थिति में, क्योंकि याचीगण ने विवाह कर लिया है, इसलिए कोई भी उन्हें केवल इस कारण से परेशान नहीं कर सकता है कि उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा से विवाह किया है।

8. याचीगण ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन, जो उन्हें गरिमा के साथ अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, सुरक्षा की भी मांग की है।

9. इसलिए, इस रिट याचिका का निस्तारण इस निदेश के साथ किया जाता है कि विरोधी पक्षकार, याचीगण के शांतिपूर्ण जीवन और स्वतंत्रता में किसी प्रकार से हस्तक्षेप न करें।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई प्र.सू.रि. इस मामले में पहले से रजिस्ट्रीकृत है, तो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जाएगा।

11. तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस कोर्ट ने न तो याचीगण की आयु पर कोई विचार किया है और न ही कथित विवाह की सत्यता/वैधता पर कोई न्यायनिर्णयन किया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



12. याचीगण आज से दो महीने के भीतर "उत्तर प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2017" के अधीन अपने विवाह का रजिस्ट्रीकरण करवाएंगे, ऐसा न करने पर यह आदेश स्वतः समाप्त हो जाएगा।

13. संबंधित विवाह रजिस्ट्रार को, विधि के पूर्णतः अनुरूप, शीघ्रतम याचीगण के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रक्रिया करने और जारी करने का निदेश दिया जाता है।

7. पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं के निवेदनों पर विचार करते हुए, आवेदन की अंतर्वस्तु और अन्य संबंधित दस्तावेजों का परिशीलन करने पर, यह मामला विचारणीय है।

8. इस मामले को 17.3.2026 को सूचीबद्ध किया जाए।

9. अगली तारीख पर, शपथी और प्रत्युत्तरदाता सं. 5, निरुद्ध व्यक्ति के साथ इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

10. प्रत्युत्तरदाता सं. 4 को, प्रत्युत्तरदाता सं. 5 के साथ, निरुद्ध व्यक्ति को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाता है।

11. शपथी को यह भी, दस दिन के भीतर इस न्यायालय के वरिष्ठ रजिस्ट्रार के पास ₹ 50,000 जमा करने का निदेश दिया जाता है।

12. यदि, उपर्युक्त राशि जमा नहीं की जाती है, तो अभिरक्षा में लिए गए व्यक्ति को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।"

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में, उपनिरीक्षक- श्री राकेश कुमार मौर्य और महिला कांस्टेबल - सुश्री सोनी सिंह, पुलिस थाना - धनपतगंज, जिला - सुल्तानपुर, आज निरुद्ध व्यक्ति के साथ इस न्यायालय के सामने उपस्थित हुए हैं।

4. निरुद्ध व्यक्ति ने इस न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा है कि वह उच्च न्यायालय आई थी और फोटोग्राफी के लिए शपथपत्र केन्द्र गई थी, और उसे यह भी पता था कि दां.प्र. रिट याचिका सं. 777 वर्ष 2026 दाखिल की गई थी। उसने अग्रतर कहा है कि वह शपथी को जानती थी, जो उसका मित्र था, और अब वह अपनी इच्छा से अपने माता-पिता के साथ रह रही है।

5. याचिका की अंतर्वस्तुओं और निरुद्ध व्यक्ति के कथन पर विचार करते हुए, वर्तमान याचिका **खारिज** की जाती है।

6. इस न्यायालय के वरिष्ठ रजिस्ट्रार को निदेश दिया जाता है कि वे इस मामले में शपथी को ₹ 40,000 वापस कर दें और ₹ 10,000 निरुद्ध व्यक्ति को तत्काल सौंप दिए जाएं।

मार्च 17, 2026

अर्पण

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”